

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 95/2024

दिनांक 26.06.2024

पुराने प्रकरण संख्या 55/2021 (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़) दायर दिनांक 25.06.2021

अनवान

01. जसवन्तसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत उम्र 63 वर्ष निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. अमरावसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
2. शम्भुसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
3. कानसिंह पुत्र गोर्वधनसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
4. गोपालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
5. तख्तसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
6. नन्दकंवर पुत्री छोटूसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपूत हाल निवास सोलंकीयो का खेड़ा तहसील कोटडी
7. मदनसिंह दत्तक पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
8. मोहनसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
9. लालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़/बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 03/07/2025

डिक्री दिनांक : 03/07/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी अधिवक्तावादी श्री गिरधारीलाल आचार्य एकपक्षीय हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)
01	जसवन्तसिंह पुत्र किसनसिंह राजपुत रहन BRKGB श्यामपुरा	माल का खेड़ा	178/1	0.3804
	योग		किता 01	0.3804
02	अमरावसिंह पुत्र किसनसिंह 1/2 शम्भुसिंह पुत्र किसनसिंह 1/2 राजपुत रहन BRKGB श्यामपुरा	माल का खेड़ा	178/2 183	0.1133 0.6475
	योग		किता 02	0.7608
03	जसवन्तसिंह पुत्र किसनसिंह राजपुत सा. देह रहन BRKGB श्यामपुरा	माल का खेड़ा	49/2	0.3966
	योग		किता 01	0.3966

न्यायालय
 2025, बिजौलियाँ

04	अमरावसिंह पुत्र किसनसिंह 1/11	माल का खेड़ा	101	0.0809
	इन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह 1/44		102	0.4047
	गोपालसिंह पुत्र भूरसिंह 1/11 तख्तासिंह		32	0.1619
	पुत्र छोटूसिंह 1/11 नन्दकंवर पुत्री		35	0.9470
	छोटूसिंह 1/11 भवानीराज पुत्र कानसिंह		36	0.0405
	1/11 मदनसिंह दत्तक पुत्र भीमसिंह		46	0.5827
	3/11 मुन्ना कंवर पुत्री लालसिंह 1/44		47	0.0728
	महेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह 1/44		49/1	0.0405
	मोहनसिंह पुत्र छोटूसिंह 1/11 लाडकंवर		50	0.6475
	पुत्री लालसिंह 1/44 शम्भुसिंह पुत्र		51	0.7851
किशनसिंह 1/11 राजपुत सा. देह रहन	94	0.6961		
जमाबन्दी अनुसार	95	0.4856		
	99	0.0567		
	योग		किता 13	
05	सामलाती	माल का खेड़ा	48	0.0324
	योग		किता 01	0.0324

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत् Nil खर्चा
 इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की तारीख से
 तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 07 वर्ष 2025 को जारी किया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीश्नर	-		फीस कमीश्नर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 95/2024

दिनांक 26.06.2024

पुराने प्रकरण संख्या 55/2021 (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़) दायर दिनांक 25.06.2021

अनवान

01. जसवन्तसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत उम्र 63 वर्ष निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.....वादी

1. अमरावसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
2. शम्भुसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
3. कानसिंह पुत्र गोर्वधनसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
4. गोपालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
5. तख्तासिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
6. नन्दकँवर पुत्री छोटूसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपुत हाल निवास सोलंकीयो का खेड़ा तहसील कोटड़ी
7. मदनसिंह दत्तक पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
8. मोहनसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
9. लालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़/बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य,विद्वान अधिवक्ता वादी
2. एक पक्षीय कार्यवाहीप्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राज0 का0 अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक : 03/07/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 13.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम माल का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलिया के खाता संख्या 71 में अंकित खसरा नम्बर 178 क्षेत्रफल 0.4937 हैक्टेयर, खसरा संख्या 183 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 1.1412 हैक्टेयर व ग्राम माल का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलिया के खाता संख्या 08 में अंकित खसरा नम्बर 101, 102, 32, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 94, 95, 99 कुल खसरे 14 क्षेत्रफल 5.4310 हैक्टेयर भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किये गये। तहसीलदार बिजौलियां ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक/राजस्व/2025/695 दिनांक 01.05.2025 को प्रस्तुत किये गये जो जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर



पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
राजस्थान प्रखण्ड 2025, बिजौलियाँ

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)
01	जसवन्तसिंह पुत्र किसनसिंह राजपुत रहन BRKGB श्यामपुरा	माल का खेड़ा	178/1	0.3804
	योग		किता 01	0.3804
02	अमरावसिंह पुत्र किसनसिंह 1/2 शम्भुसिंह पुत्र किसनसिंह 1/2 राजपुत रहन BRKGB श्यामपुरा	माल का खेड़ा	178/2 183	0.1133 0.6475
	योग		किता 02	0.7608
03	जसवन्तसिंह पुत्र किसनसिंह राजपुत सा. देह रहन BRKGB श्यामपुरा	माल का खेड़ा	49/2	0.3966
	योग		किता 01	0.3966
04	अमरावसिंह पुत्र किसनसिंह 1/11 इन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह 1/44 गोपालसिंह पुत्र भूरसिंह 1/11 तख्तसिंह पुत्र छोटूसिंह 1/11 नन्दकंवर पुत्री छोटूसिंह 1/11 भवानीराज पुत्र कानसिंह 1/11 मदनसिंह दत्तक पुत्र भीमसिंह 3/11 मुन्ना कंवर पुत्री लालसिंह 1/44 महेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह 1/44 मोहनसिंह पुत्र छोटूसिंह 1/11 लाडकंवर पुत्री लालसिंह 1/44 शम्भुसिंह पुत्र किशनसिंह 1/11 राजपुत सा. देह रहन जमाबन्दी अनुसार	माल का खेड़ा	101 102 32 35 36 46 47 49/1 50 51 94 95 99	0.0809 0.4047 0.1619 0.9470 0.0405 0.5827 0.0728 0.0405 0.6475 0.7851 0.6961 0.4856 0.0567
	योग		किता 13	
05	सामलाती	माल का खेड़ा	48	0.0324
	योग		किता 01	0.0324

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करें।



(अजीत सिंह रावौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

निर्णय आज दिनांक 03/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह रावौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ